न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण — अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी छीबागांव तह0 शिवगंज

बनाम

अप्रार्थीगण — राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री नगेन्द्रकुमार मेडतिया

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 79/2023

दिनांक 14.01.2025

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगणों के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 28.08.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मौजा छीबागांव पटवार हल्का छीबागांव में आई हुई है। जिसके खाता सं0 79 में खसरा नं0 434 व 435 कुल किता 2 कुल रकबा 2.6547 हैक्टयर भूमि व खाता सं0 60 के खसरा नं0 436, 478, 480 कुल किता 3 कुल रकबा 1.9182 हैक्टयर भूमि आई हुई है। उक्त आराजी प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान् के संयुक्त खातेदारी तथा कब्जा काश्त की है। प्रार्थी के उक्त खसरा की आराजी से लगती हुई अन्य खातेदारान् के खातेदारी की कृषि आराजी आई हुई हैं, प्रार्थी की उक्त आराजी के चारों और सीमा चिन्ह नहीं होने से हमेशा विवाद की स्थिती रहती है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी का सीमाज्ञान होने के बाद भी सीमाचिन्ह नहीं होने से परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थी ने सीमाज्ञान के समय पटवारी हल्का से निवेदन किया कि वे नियमानुसार प्रार्थी की आराजी के चारों और पत्थरगढी करवा देवे, लेकीन उनके द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया है लेकीन विधि अनुसार पत्थरगढी नहीं की गई है, जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी के खातेदारी की उपरोक्त आराजी के चारों ओर मौके पर सीमा चिन्ह मौजुद नहीं है, इस कारण मौके पर प्रार्थी की आराजी की सीमा के चिन्ह मौजुद नहीं होने से पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर अवैद्य रूप से कब्जा करने का प्रयास रहते है, प्रार्थी की आराजी के चारों ओर सीमा चिन्हों के अभाव में मौके पर प्रार्थी व पडौसी खातेदार के मध्य आराजी की सीमा को लेकर हमेशा विवाद की स्थिती बनी रहती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पद संख्या एक में वर्णित आराजी की नपाई तथा उसकी सीमा पर सीमा चिन्ह (पत्थर गडी) अंकित किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी नकल, नक्शा की प्रति व सलंग्न दस्तावेजो के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 28.08.2023 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये जो तामील होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी की और से दिनांक 27.08.2024 को जवाब पेश किया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की दिनांक 10.01.2025 को बहस सुनी गई।

हमनें विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि व सलंग्न दस्तावेजो तथा वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस पर गंभीरता से मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा छीबागांव तहसील शिवगंज जिला–सिरोही के खसरा नं0 436, 478, 480 कुल किता 3 कुल रकबा 1.9182 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 434, 435 कुल रकबा 2.6547 हैक्टयर** भूमि में पडौसी खातेदारों द्वारा प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि में अतिक्रमण/बेदखल करने की संभावना व खातेदारी भूमि में काश्त करने में विघ्न पैदा होने तथा भविष्य में और भी कानुनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थी से उक्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार) शिवगंज को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी का नेखमबंदी करने से पूर्व सभी आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में नेखमबंदी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त नेखमबंदी करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थी को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित किया जाकर एक तिथि निश्चित (वर्षा काल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 को ध्यान में रखते हुए) कर नेकमबंदी की जावें। कमिश्नर फीस रूपये 1000/– रूपये (एक हजार) मात्र निर्धारित किया जाता है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा। यदि पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाने से पुलिस ईमदाद प्राप्त करें। आदेश सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (S.D.O)
शिवगंज (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:56 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / कोर्ट / 2025 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 14.01.2025

प्रतिलिपि पालनार्थः—

तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O)
शिवगंज (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:56 IST
Reason: SelfAttested